

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-18/2022

रामनारायण प्रसाद.....वादी

बनाम

दिनेश यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.11.2024	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0-03 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 19.10.2022 अंतर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम के धारा 05 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।</p> <p align="center">आदेश (ORDER)</p> <p>प्रतिवादी सं0-03 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 19.10.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0-03 अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक 30.06.2022 को उपस्थित हुए। वादग्रस्त भूमि से संबंधित कुछ आवश्यक कागजात समय से प्राप्त नहीं हो सका जिसके कारण बयान तहरीरी तैयार नहीं हो सका जिस कारण बयान तहरीरी समय से दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादी सं0-03 द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0-03 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय।</p> <p>वादी की ओर से प्रतिवादी सं0-03 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0-03 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0-03 दिनांक 30.06.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 19.10.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर</p>	

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-१८/२०२२

रामनारायण प्रसाद.....वादी

बनाम

दिनेश यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार १३.११.२०२४</p>	<p>किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं०-०३ को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं०-०३ द्वारा नियत समय के बाद दिनांक १९.१०.२०२२ को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं०-०३ का आवेदन दिनांक १९.१०.२०२२ मो०-१०००/- रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं०-०३ की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है।</p> <p>आगामी दिनांक १२.१२.२०२४ वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: center;">अवर न्यायाधीश नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	---	--